THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): All the State Governments and U.T. Administrations, except Arunechal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland have specified/special courts for the trial of offences under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

The State Government of Rajasthan has set up six and the State Government of Andhra Pradesh has set up three exclusive special courts also.

The Act does not extend to Jammu and Kashmir.

Special Public Prosecutors have also been specified in the State and UTs for conducting the cases in such specified special courts. The State Governments have been advised to take such other measures as may be necessary for the effective implementation of the Act.

मध्य प्रदेश में आदिवासी उप योजना विभाग

478. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में आदिवासी उप-योजना विभाग को वर्ष-वार तथा परियोजना-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इस उपयोजना का लाभ मिला है;

(ग) यदि हां, तो इसका कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है; और

(घ) इस संबंध में देश के आदिवासी बाहुल्य वाले अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को आदिवासी उप-योजना के लिए परियोजनावार निर्मुक्त की गई विशेष केंद्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 191, अनुबंध संख्या 12]

(ख) से (घ) सूचना विभिन्न श्रोतों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम

479 **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, जो उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम तथा की गई कार्रवाई की स्थिति

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्रवाई बिन्दु	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)
सूत्र सं. 1, 2 और 3		
साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जिला अधिकारियों की तैनाती	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना।	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में परिचालित किए गए।
अच्छे कार्य के लिए जिला व पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करना	—तदैव—	—तदैव—
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने या हिंसा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	—तदैव—	—तदैव—
सूत्र सं. 4		
साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षणहेतु विशेष न्यायालय की स्थापना	उन स्थानों पर जहां साम्प्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर भड़क चुकी है, अनन्य रूप से साम्प्रदायिक अपराधों के परीक्षणहेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं दिल्ली, मेरठ, भागलपुर, कोटा और यज पुर में विशेष न्यायालयों का पहले ही गठन किया जा चुका है।
सूत्र सं. 5		
दंगों के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राहत	मृत्यु/स्थायी अपंगता के मामलों में अनुग्रह अनुदान की राशि को संशोधित कर 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० करने तथा दंगों के शिकार कम आय वाले व्यक्तियों की विधवाओं को 500 रु० प्रति मास पेंशन देने हेतु राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करना।	राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में जारी साम्प्रदायिक सद्भाव संवर्धन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों में ये मदें भी शामिल हैं।
सूत्र सं. 6		
सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में रेडियो/दूरदर्शन की भूमिका	दंगों के दौरान समुदायों, के बीच परस्पर सहायता दर्शाने वाले विशेष फीचर सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता पर सीरियल विभिन्न समुदायों की प्रतिभागिता वाले विशेष कार्यक्रम आदि प्रसारिक टेलीकास्ट करना।	इन कार्यक्रमों को कवर करने वाले विशेष फीचर कपोशन किए जा रहे हैं।

(1)	(2)	(3)
प्रश्न सं. 7		
आपत्तिजनक और भड़काने वाली सामग्री का प्रकाशन-संपादक आदि के विरुद्ध कार्रवाई	इस संबंध में विशिष्ट उपायों पर विचार करना ।	समय-समय पर राज्य सरकारों को इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है ।
प्रश्न सं. 8, 9 और 10		
राज्य पुलिस बलों में भर्ती केंद्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में भर्ती	नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से पुलिस बलों में भर्ती अभियान कानून और व्यवस्था ड्यूटियों के लिए मिलेजुले बटालियन खड़ा करना, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण हेतु अनुस्थापन कार्यक्रम सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों/बैंकों में भर्ती बोर्डों की रचना मानीटरिंग और सरकार/बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र सगठनों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की मानिटरिंग	राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ये राज्य पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेजुले बटालियन कर्मियोंखड़ा करने और पुलिस बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करें । भर्ती और भर्ती बोर्डों/चयन समितियों / आयोगों आदि में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में नमूना सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है ।
प्रश्न सं. 11—12		
तकनीकी शिक्षा और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1. सांप्रदायिक पालिटैकनिकों के विस्तार केंद्रों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए प्रासंगिक कौशलों और उपयुक्त टेक्नोलोजी में तकनीकी शिक्षा का प्रसार ।	अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले सभी 41 जिलों को सांप्रदायिक पालिटेकनिकों की योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।
	2. अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाले जिलों में अल्पसंख्यक शिल्पियों और कारीगरों के लिए प्रासंगिक व्यावसायों को जोड़कर आई०टी०आई० में प्रशिक्षण का पुनर्अनुस्थापन/उन्नयन	1990–91 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 9 अल्पसंख्यक संकेंद्रण जिलों को शामिल किया गया । 1991–92 के दौरान 17 को शामिल किया जाएगा ।
	3. उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न भर्ती/प्रोवेशन परीक्षाओं के लिए परीक्षापूर्व प्रशिक्षण ।	इस योजना के अंतर्गत 1990-91 में 36 परीक्षा-पूर्व कोचिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किए गए थे ।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित कार्यवाई कार्यक्रम तथा की गई कारवाई की स्थिति ।

1	2	3
	4. अल्पसंख्यक कालेजो/विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग योजना का पुनर्गठन और विस्तार।	20 विश्वविद्यालयों और 33 कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना क्रियान्वयनाधीन है।
सूत्र संख्या 13		
लाभों का उचित और पर्याप्त हिस्सा	**हस्तशिल्प**	
	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों/क्षेत्रों में हस्तशिल्प के लिए पैकेज कार्यक्रम।	1990-91 के दौरान आगरा संगमरमर जड़ाई और हावडा (चिकन कार्य) (स्टोन वर्क) हैदराबाद (बिद्रोय कार्य) में शिल्प विकास केन्द्र स्थापित किए। मुरादाबाद में धातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र का संयंत्र कार्य कर रहा है। काष्ठ नक्काशी को डिजाइन विकास परियोजना सहारनपुर मे शुरू की गई है।
	हथकरघा	
	अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में हथकरघा विकास के लिए संघन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।	कन्नूर, कालीकट जिलों और नाडिया के सोनितपुर को परियोजना पैकेज में शामिल किया गया है। मुर्शिदाबाद को शामिल किया जाना है।
	भागलपुर और मेरठ में सांप्रदायिक दंगा में प्रभावित क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम।	एकविशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। भागलपुर मे 852 हथकरघा बुनकरों को नए पिट करघा दिए गए हैं, 493 लाभग्राहियों को सीमान्त धन और ब्याज इमदाद के रूप में 22.54 लाख रु० वितरित किए गए 473 व्यक्तियों को कार्य शेड-सह-गृहों के लिए 41.82 लख रु० की वित्तीय सहायता दी गई।

1	2	3
	लघु उद्योग	
	(क) साझा सुविधा केंद्रों/प्रारूप विकास केन्द्रों की स्थापना	अलीगढ़ और हावड़ा में ताले, चमड़ के सूटकेस और सुई बनाने के उद्योगों के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्रों/प्रारूप विकास केंद्रों को शुरु करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए ।
	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित योजनायें ।	(ख) लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई । शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला उद्योग केन्द्र स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू की गई ।
	(ग) कारीगरों/ईडीपी प्रशिक्षण के लिए ट्राइसेम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम ।	(ग) कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए ट्राईसेम के अंतर्गत लगभग सभी राज्यों द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं । राज्यों की कार्य योजना में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों, के लिए उद्यमी संबंधी विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं ।
	खादी तथा ग्रामीण उद्योग	
	ग्रामीण कारीगरों के लिए निधियों का विशेष आवंटन और विशेष कार्यक्रम ।	खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजना प्रस्तावित की गई । कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों को 13.17 करोड रुपए की निधियां प्रदान की गई और ग्रामीण उद्योग ने एक अल्पसंख्यक मूल्यांकन सैल स्थापित किया है ।

1	2	3
	आई आर डी पी/ट्राईसेम	
	स्व-रोजगार/प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का बेहतर उपयोग।	स्थानीय विशेष व्यवसायों/धंधों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकारों को जिला वार योजना से तैयार करनी हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा कार्य योजनायें पहले ही तयार की जा चुकी हैं।
	ऋण सहायता।	
	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऋण की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम।	मार्च, 1991 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 213 शाखायें खोली गई 198 अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण किया गया।
सूत्र सं० 15 और 16		
शिकायतों का समाधान, वक्फ आदि पर अधिक्रमण को हटाना।	वक्फ संपत्तियों/कब्रिस्तानों आदि पर अतिक्रमणों से संबंधित शिकायतों संबंधी समस्याओं से निपटने, शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र और संतोषजनक आधार पर उपाय करना।	इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग न करना

480. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह से प्रयोग न किए जाने के क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

481. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं;